रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 23, 2008/माघ 3, 1929
No. 96] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 23, 2008/MAGHA 3, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2008

का.आ. 128(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1097(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005, द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 के कि.मी. 63.000 से कि.मी. 228.000 (भरतपुर-महुआ-जयपुर सेक्शन) तक के भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के 120.000 कि.मी. से 228.000 कि.मी. (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खंड कहा गया है) के विकास के लिए निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के आधार पर (बी.ओ.टी) जयपुर-महुआ टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, हाउस नम्बर 1-90/ए प्लाट नं. 20 और 21 आर.बी.आई कालोनी माधापुर हैदराबाद-500081 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है) के साथ करार किया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड के निर्माण करने, अनुरक्षण करने, प्रबंध और प्रचालन करने में अंतर्ग्रस्त व्यय, विनिधात पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम यातायात परिमाण तथा प्राधिकरण और उक्त रियायतग्राही के बीच हुए ऐसे करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित करती है कि राजस्थान राज्य में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर इस अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्ग्रहीत और संदत्त की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को उक्त खंड के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से उक्त करार की समाप्ति की तारीख तक फीस संग्रहीत करने और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या11, के 120.000 कि.मी. से 228.000 कि.मी तक के खंड के उपयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली आधार फीस की दरें ।

फीस का संग्रहण अधिकतम दो पथकर प्लाजा पर किया जायेगा **(उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहला 156.6** कि.मी तथा दूसरा 204.7 कि.मी)।

क्रम संख्या	यान का प्रकार	आधार फीस प्रति यान प्रति फेरा फीस की दर (रूपए प्रति कि.मी.)
1.	2.	3.
1.	मोटर कार, यात्री वैन अथवा जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यक यान (एल सी वी)	0.70
3.	ट्रक	1.40
4.	बस	1.40
5.	बहुधुरीय यान(>दो धुरीय)	2.25

टिप्पणी:-

1. परिभाषाएं :- इस अधिसूचना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(i) "वास्तविक फीस" से उक्त खंड के प्रयोग के लिए सड़क प्रयोक्ताओं से वसूल की गई वास्तविक फीस अभिप्रेत है और वह फीस निकटतम 5 रूपए में पूर्णांकित की जाएगी ।

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारिख अभिप्रेत है जिसको राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के उक्त खंड पर वाणिज्यिक प्रचालन प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड के चार लेन पूरा होने पर यथास्थित पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारंभ होता है ।

(iii) "समाप्ति की तारीख " से वह तारीख अभिप्रेत है जब उक्त करार के उपबन्धों के अनुसार प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार समाप्त होता है अथवा समापन नोटिस द्वारा समाप्त किया जाता है ।

(iv) "स्थानीय निजी यातायात" से ऐसे व्यक्तिक यान जो किसी व्यक्ति द्वारा जो सामान्यतः ऐसे स्थान पर रहता है अथवा ऐसी जगह काम करता है जहाँ पहुँचने के लिए उसके वाहन को सामान्यतः उक्त खण्ड के कुछ भाग का ही उपयोग करके पहुँचा जा सकता है रियायतग्रही के पास रजिस्टर है तथा इस प्रकार उसके कार्य करने या निवास स्थान को उससे सामान्य यात्रा के दौरान उक्त खंड के उस भाग पर होकर जाने के

लिए एक पथकर प्लाजा से अधिक प्लाजाओं को पार नहीं करना होता, ऐसे यान का उपयोग करने की आवश्यकता होती है ।

(v) "स्थानीय वाणीज्यिक यातायात" से माल या यात्रियों को लाने ले जाने में लगी बस, ट्रक, हल्का मोटर यान या टैक्सी सहित ऐसा वाणिज्यक यान अभिप्रेत है जो उक्त सेक्शन पर नेमी रूप में चलने के लिए रियायतग्राही के पास पंजीकृत हैं और जिन्हें एक पथकर प्लाजा से अधिक प्लाजाओं को पार नहीं करना होता ।

(vi) इस अधिसूचना में प्रयुक्त शब्द और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हो और परिभाषित नहीं है बल्कि जिन्हें राजस्थान राज्य में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग उक्त खण्ड के संबंध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार में परिभाषित वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में हैं ।

2 उपरोक्त अनुसूची के क्र. सं. 5 पर बहुधुरी यान में अर्थ मूविंग उपस्कर और भारी संनिर्माण मशीनरी यान सम्मिलित होगी।

3. फीस की आधारिक दर को उक्त करार के प्रचालन अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से पुनरीक्षित की जाएगी और पुनरीक्षित फीस की गणना इस प्रकार की जाएगी :-

$$\text{आधार फीस} \times \frac{\text{डब्लयू पी आई-बी}}{\text{डब्लयू पी आई-ए}}$$

अर्थात:

*डब्लयू पी आई-ए = 31 मार्च ,1997 को थोक मूल्य सूचकांक

*डब्लयू पी आई-बी = फीस संशोधन की तारीख से पहले 31 मार्च को थोक मूल्य सूचकांक

वसूल की जाने वाली वास्तविक फीस रूपये के निकटतम 5 रूपये में होगी ।

4. प्रत्येक ऐसे खंड के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से राजमार्ग के उक्त खंड से 50 कि.मी. के संलग्न खंड में चार लेन वाले खंड को पूरा करने के पश्चात् उपयोगिताओं से रियायतग्राही द्वारा फीस उदग्रहण और संग्रहण जब तक नही किया जा सकेगा जब तक उक्त संपूर्ण खंड चार लेन वाला नहीं हो जाता है, और यदि रियायतग्राही नियत सन्निगार्ण अवधि के भीतर संपूर्ण परियोजना राजमार्ग को पूरा करने में चूक करता है तो फीस की अधिसूचना को उक्त करार के अनुसार तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और संपूर्ण राजमार्ग परियोजना के पूरा होने के पश्चात् नई अधिसूचना जारी की जाएगी ।

5. निम्नलिखित प्रकार के यान फीस के प्रभावित होने या संग्रहण से छूट प्राप्त होंगे, अर्थात :-

(क) रक्षायान जिसके अंतर्गत भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना अधिनियम, 1901 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों (जो नौसेना पर भी लागू है) छूट के लिए पात्र यान भी हैं ।)

(ख) पुलिस यान

(ग) अग्निशमन यान

(घ) एंबूलेंस

(ङ.) अंत्येष्टी यान

(च) डाक और टेलिग्राफ विभाग के यान

(छ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति" प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित हैं:-

(i) भारत के राष्ट्रपति;

(ii) भारत के उपराष्ट्रपति;

(iii) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल;

(iv) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

(v) "सी डी"/ "सी सी" नंबर प्लेटों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;

(vi) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य मंडलों के विपक्ष के नेता जिनका दर्जा कैबिनेट मंत्री का हो, यदि वे स्वंय यान में हों; या

(vii) संसद सदस्य, सम्पूर्ण देश में, या अपने-अपने राज्यों में विधान सभा के सदस्य या राज्य की विधान परिषद के सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा राज्य के संबंधित विधान मंडल, द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र प्रस्तुत करते हैं;

(viii) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्त करता ऐसे पुरस्कारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुरस्कार के प्रमाणन के संबंध में जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करतें है ;

6. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी चाहिए, पथकर चौकी से 500 मी. आगे, पथकर चौकी से 100 मी. आगे और पथकर चौकी पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो ।

7. रियायतग्राही स्थानीय निजी यातायत और स्थानीय वाणिज्यिक यातायात से निम्मिलिखित छूट प्राप्त दरों से अधिक कोई फीस वसूल नहीं करेगा अर्थात्:

क) स्थानीय निजी यातायात : फीस का 25 %

ख) स्थानीय वाणिज्यिक यातायात : फीस का 50 %

8. रियायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से न्यूनतम 10 दिन पहले इस अधिसूचना का सार कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों (इनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) प्रकाशित करेगा, जिसमें इस अधिसूचना के उपबन्धों के अनसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का भी उल्लेख होगा । ऐसा सार, इस अधिसूचना के अनुसार संशोधित दर के प्रभावी होने से 10 दिन पहले प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाएगा ।

9. उपयोक्ताओं से संग्रहीत की जाने वाली वास्तविक फीस की गणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किंतु वृद्धि दर लागू होने से कम से कम 45 दिन पहले, शीघ्र विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी। प्राधिकरण, फीस संशोधन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद शीघ्रातिशीघ्र किंतु फीस संशोधन प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर टिप्पणी भेजेगा या स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध करेगा। यदि प्राधिकरण संशोधित फीस की इस अवधि में कोई टिप्पणी नहीं देता अथवा स्पष्टीकरण नहीं मांगता जैसा कि रियायतग्राही द्वारा प्रस्ताव किया गया था, प्राधिकरण द्वारा उसकी पुष्टि की हुई मानी जाएगी।

[फा. सं. आर.डब्ल्यू./एन.एच.-37011/59/2007-पी.आई.सी.]

रणधीर सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2008

S.O. 128(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1097 (E), dated 4th August, 2005 issued under section 11 of the National Highways Authority of the India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km 63.000 to Km 228.000 on (Bharatpur – Mahua – Jaipur section) of the National Highway No. 11 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the provisions of section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/S. Jaipur-Mahua Tollway Private Limited, H.No.1-90/A, Plot No. 20 & 21, R.B.I. Colony, Madhapur, Hyderabad – 500 081, Andhra Pradesh, (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development of the Mahua – Jaipur stretch from Km 120.00 to Km 228.00 (hereinafter referred to as the said stretch) of the National Highway No 11 on Build, Operate and Transfer (BOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of section of National Highways/permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said stretch of the

said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said stretch of the said National Highway in the State of Rajasthan at the rates specified in the Schedule annexed to this notification and authorises the said Concessionaire to collect and retain the fees on and from the date of commercial operation of the said stretch till the termination date.

SCHEDULE

Rates of base fee to be recovered from the users of the said stretch from Km 120.000 to Km 228.000 of the said National Highway number 11 in the State of Rajasthan.

The fee shall be collected at maximum two Plazas (one at Km 156.6 and another at Km 204.7 on the said national highway.

S.No.	Category of Vehicle	Rate of base fees per vehicle per one way trip (in rupees per km.)
(1)	(2)	(3)
1.	car, passenger van or jeep	0.40
2.	Light Commercial Vehicle (LCV)	0.70
3.	Truck	1.40
4.	Bus	1.40
5.	Multi Axle Vehicle (>2 axle)	2.25

Notes :

1. For the purposes of this notification, -

(i) "actual fees" means the fees actually charged from the road users of the said stretch on the basis of rate of base fee given in the said

schedule and shall be rounded off to the nearest five rupees.

(ii) "date of commercial operation" means the date on which the commercial operation of the said stretch of the National Highway number 11 in the State of Rajasthan begins after the issue of the Completion Certification or the Provisional Certificate, as the case may be, by the independent consultant, upon completion of four laning of the said stretch of the said National Highway in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire;

(iii) "termination date" means the date on which the said agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by a termination notice;

(iv) "local personal traffic" means any personal vehicle which is registered with the concessionaire by any person who normally resides or works at a place that can normally be approached only by using a part of the said stretch and such person is, therefore, required to use such vehicles for commuting on that part of the stretch, without crossing more than one Plaza, in the course of normal travel to and from his place of work or residence.

(v) "local commercial traffic" means any commercial vehicle including bus, truck, light motor vehicle or taxi engaged in carrying goods and passengers which is registered with the concessionaire and plying routinely on the said stretch without crossing more than one Plaza;

(vi) Words and expressions used in this notification but not defined but defined in the said agreement between the Authority and the Concessionaire, in respect of the said stretch of the said National

Highway in the State of Rajasthan, shall have the meaning respectiv assigned to them in the said agreement.

2. Multi Axle Vehicle at serial number 5 of the aforesaid Schedule include earth-moving equipments and heavy construction machinery.

3. The base rate of fee shall be revised once in every year with effect fr the 1st day of July of each such year during the operating period of t said agreement and the revised fee shall be computed as follows:-

$$\text{Base Fee} \times \frac{\text{WPI-B}}{\text{WPI-A}}$$

Where

- WPI-A = is the Wholesale Price Index as on the 31st March, 1997
- WPI-B = is the Wholesale Price Index as on the 31st March precedi the fee-revision date.

4. The Concessionaire may commence levying and collecting fees from the us after completion of four laning of each continuous stretch of 50 kms out of the s stretch of said National Highway from the date of commercial operation of each su stretch until the whole of said stretch is four laned; and in case the Concessiona defaults in completing the entire project highway within the stipulated constructi period, the fee notification shall be denotified immediately in accordance with the s agreement and fresh notification shall be issued only after completion of the ent project highway.

5. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicl namely: -

(a) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made thereunder (as extended to Navy);

(b) Police vehicles;

(c) Fire fighting vehicles;

(d) Ambulances;

(e) Funeral vans;

(f) Post and Telegraph Department's vehicles;

(g) Central and State Government vehicles on duty;

(h) vehicles with "VIP" symbols or officially belonging to:-

(i) the President of India;

(ii) the Vice-President of India;

(iii) the Governor of a State and the Lt. Governor of a Union territory;

(iv) a Foreign dignitary on State visit to India; and

(v) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "'CD"/ "CC" symbols;

(vi) the Chairman of Rajya Sabha or the Speaker of Lok Sabha or the Chairman of a State Legislative Council or the Speaker of a State Legislative Assembly or a Minister for the Union or the State or Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle;

(vii) Members of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his Identity Card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State as the case may be;

(viii) Winners of Gallantry Awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra., Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo Identity Card duly authenticated by the Competent Authority for such award.

6. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards.

7. The Concessionaire shall not collect fees from local personal traffic and local commercial traffic in excess of the following discounted rates, namely;

(a) local personal traffic: twenty five per cent of the fees;

(b) local commercial traffic: fifty per cent of the fees.

8. The Concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provision of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also be published, ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.

9. The actual fees to be charged to users shall be computed by the Concessionaire and sent to the Authority for validation as soon as possible after 31st March every year, but at least forty- five days before the revised rate is to be made effective so as to enable the Authority to provide any comments

or seek clarifications within a period of fifteen days from the date of receipt of said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarification during the said period, the revised fee as proposed by the Concessionaire shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. RW/NH-37011/59/2007-PIC]
RANDHIR SINGH, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.